इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स का मासिक न्यूजलेटर

(आईएसओ 21001:2018 द्वारा प्रमाणित)

IIBF VISION

खंड संख्या 19 | अंक संख्या 02 | सितंबर, 2026 | पृष्ठों की संख्या - 13

विजन

बैंकिंग और वित्त के क्षेत्र में सक्षम व्यावसायिक शिक्षित एवं विकसित करना।

मिशन

प्राथमिक रूप से शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा, परामर्श और निरंतर आधार वाले व्यावसायिक विकास कार्यक्रमों की प्रक्रिया के माध्यम से सुयोग्य और सक्षम बैंकरों एवं वित्तीय व्यावसायिकों का विकास करना।

इस अंक में

मुख्य घटनाएँ	3
बैंकिंग नीतियाँ	4
बैंकिंग जगत की घटनाएँ	5
पूंजी बाजार	5
विनियामक के कथन	6
आर्थिक संवेष्टन	8
नई नियुक्तियाँ	8
विदेशी मुद्रा	8
शब्दावली	9
वित्तीय ज्ञान	9
संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां	9
संस्थान समाचार	11
बाजार की खबरें	12

"इस प्रकाशन में समाविष्ट सूचना/समाचार की मदें सार्वजनिक उपयोग अथवा उपभोग हेतु विविध बाह्य स्रोतों, मीडिया में प्रकाशित हो चुकी/चुके हैं और अब वे केवल सदस्यों एवं अभिदाताओं के लिए प्रकाशित की/किए जा रही/रहे हैं। उक्त सूचना/समाचार की मदों में व्यक्त किए गए विचार अथवा वर्णित/उल्लिखित घटनाएँ संबन्धित स्रोत द्वारा यथा-अनुभूत हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनैन्स समाचार मदों/घटनाओं अथवा जिस किसी भी प्रकार की सच्चाई अथवा यथार्थता अथवा अन्यथा के लिए किसी भी प्रकार से न तो उत्तरदाई है, न ही कोई उत्तरदायित्व स्वीकार करता है।"

मुख्य घटनाएँ

मौद्रिक नीति समिति की 03-06 अगस्त 2026 को हुई बैठक की मुख्य बातें

भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 03-06 अगस्त 2026 को हुई बैठक की मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:

- रेपो दर बिना बदले 5.25% बनी रहेगी।
- स्थायी जमाराशि सुविधा दर बिना बदलाव के 5.00% रहेगी।
- सीमांत स्थायी सुविधा दर तथा बैंक दर भी पूर्व की भांति 5.50% रहेंगे।

विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य

विकास और विनियामक नीतियों पर वक्तव्य की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- बैंकिंग क्षेत्र विशेषकर सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में हो रहे महत्वपूर्ण बदलावों तथा इस क्षेत्र के विस्तार के मद्देनज़र, संकेंद्रित कर्ज देने से उत्पन्न विवेकपूर्ण चिंताओं को दूर करते हुए, ऊर्जावान सहकारी क्षेत्र के विकास हेतु ग्रामीण सहकारी बैंकों के संकेंद्रण जोखिम प्रबंधन पर विवेकपूर्ण मानदंडों की समीक्षा की जाएगी।
- शहरी सहकारी बैंकों हेतु मांग पर प्राप्य लाइसेन्स प्रणाली बहाल की जाएगी।
- (i) आनुपातिकता बनाए रखने; (ii) वर्तमान निधि आधारित सीमांत लागत (एमसीएलआर) व विदेशी बेंचमार्क कर्ज (ईबीएलआर) ढांचे के परिचालन पहलुओं को संभालने; और (iii) दिवस गणना व बेंचमार्क पुनर्निर्धारण तिथि को शामिल कर ब्याज वसूलने संबंधी कतिपय भिन्न प्रथाओं के मानकीकरण के उद्देश्य से, सभी विनियमित संस्थाओं के लिए, ब्याज दरों पर विनियामक ढांचे का सिद्धांत आधारित विवेकीकरण किया जाएगा।

कर्जदारों की सुरक्षा हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ऋण वसूली के नए नियम लागू करना

1 जनवरी 2027 से, कर्जदाताओं (बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं) को भारतीय रिज़र्व बैंक के विस्तृत निदेशों का पालन करना होगा जिनका उद्देश्य वसूली प्रक्रिया के दौरान कर्ज़दारों के प्रति उचित व्यवहार सुनिश्चित करना है। इन अनुदेशों के अनुसार:

- एक ऋणी/जमानतदार से केवल प्रात: 8.00 बजे और सायं 7.00 बजे के बीच संपर्क किया/मिला जा सकता है तथा जो अवसर उपयुक्त न हों, उन पर संपर्क करने से बचना चाहिए।
- कर्जदाता यह सुनिश्चित करें कि उनके कर्मचारी/वसूली अभिकर्ता गाली-गलौज की भाषा का इस्तेमाल न करें।
- कर्जदाताओं को यह भी सुनिश्चित करना है कि उनके कर्मचारी/वसूली अभिकर्ता ऋणी/जमानतदार की वीडियो/आडियो रिकार्डिंग या निजी जानकारी सोशल मीडिया पर न डालें।
- कर्जदार उनके कर्मचारियों/वसूली अभिकर्ताओं द्वारा ग्राहक जानकारी का किसी प्रकार दुरुपयोग न होने देने के लिए एहतियाती उपाय करें।
- कर्जदाता किसी मोबाइल यंत्र के कार्य करने पर तभी रोक लगा सकते हैं जब बैंक ने इस मोबाइल को खरीदने हेतु ऋण दिया हो। गलत तरीके से रोक लगाने अथवा ऋणी से बकायों की वसूली के बाद रोक वापस लेने, जहां देरी बैंक की वजह से हुई हो, बैंक गलती के सुधार तक, ऋणी को 250 रुपए प्रति घंटे की दर से हर्जाना देगा। तथापि कुल हर्जाने की राशि दिए गए ऋण की राशि तक सीमित होगी।

इसके साथ, भारतीय रिज़र्व बैंक ने कर्जदाताओं को कहा है कि ऋण बकायों की उगाही/वसूली पर नीति बनाएँ जिसमें

उनके अपने कर्मचारी/वसूली अभिकर्ता द्वारा प्रतिभूति का कब्जा लेने पर नीति भी शामिल हो। नीति इस प्रकार बनाई जाए कि इसमें वसूली लक्ष्य या कर्मचारियों हेतु प्रोत्साहन ढांचा वसूली में सख्ती बरतने को बढ़ावा न दे।

एनपीएस योजना के लिए नया वर्गीकरण लागू

पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) ने अभिदाताओं हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) अंतर्गत निवेश योजनाओं के वर्गीकरण, नाम निर्धारण और प्रदर्शन हेतु एक नया मानकीकृत ढांचा लागू किया है। इस कदम का उद्देश्य सुविज्ञ निवेश निर्णय लेने में सहायता करना है। एनपीएस योजनाओं के अब मोटे तौर पर पाँच प्रकार होंगे: जीवन शैली आधारित योजनाएँ; एक्टिव चॉइस; एनपीएस संचय; बहुल योजना ढांचा (एमएसएफ) तथा 4ए योजनाएँ (क्यूरेटेड/थीमेटिक योजनाएँ)।

पॉइंट ऑफ प्रेजेंस शुल्क में पीएफआरडीए द्वारा संशोधन

पॉइंट ऑफ प्रेजेंस (पीओपी) के माध्यम से खोले गए प्रत्येक स्थायी सेवानिवृत्ति खाता संख्या (पीआरएएन) के लिए पीएफआरडीए ने एक बार का 200 रुपए का ऑनबोर्डिंग शुल्क निर्धारित किया है। अभिदाताओं पर प्रबंधनाधीन आस्तियों के 0.20% का वार्षिक शुल्क भी लागू होगा किन्तु वहाँ नहीं जहां खाता यथा निष्क्रिय वर्गीकृत किया गया हो। इसे निवल आस्ति मूल्य में समायोजित कर पीओपी को तिमाही आधार पर चुकाया जाएगा। एनपीएस के अभिदाताओं द्वारा ऑनबोर्डिंग के समय न्यूनतम अभिदान राशि 250 रुपए तथा बाद के अभिदान हेतु 10 रुपए होगी। डिजिटल, आमने सामने हुए बिना प्रक्रिया पूरी करने वाले अभिदाताओं के लिए पीएफआरडीए ने कुछ शर्तों के अधीन न्यून ऑनबोर्डिंग प्रभार का प्रावधान रखा है। उक्त ढांचा 1 अक्तूबर 2026 से लागू होगा।

पीएफआरडीए ने एनपीएस अभिदान हेतु समय बढ़ा दिया है

पीएफआरडीए ने उसी दिन निवेश करने हेतु न्यासी बैंक द्वारा एनपीएस अभिदान स्वीकार करने हेतु कट-ऑफ समय बढ़ा दिया है। तदनुसार, एक व्यवसाय सेटलमेंट दिवस को न्यासी बैंक द्वारा 01.30 (जो पहले प्रात: 11 बजे तक था) तक प्राप्त एनपीएस अभिदान जिनका बाद में सही मिलान और सफल बुकिंग हो जाती है, उसी दिन निवेश हेतु मान्य होगा। ऐसे अभिदान हेतु यूनिट आवंटन भी आवेदन की अंतिम तिथि और उस दिन निवल आस्ति मूल्य (एनएवी) के आधार पर किया जाएगा। उम्मीद है कि इस समय विस्तार से अभिदाताओं का अनुभव बेहतर होगा तथा परिचालन दक्षता सुधरेगी।

एनपीएस ई-श्रमिक रु100 प्रोत्साहन योजना को पीएफआरडीए ने एक और वर्ष के लिए बढ़ा दिया है

पीएफआरडीए ने एनपीएस ई-श्रमिक (प्लेटफॉर्म सेवा भागीदार) मॉडल अंतर्गत रु100 के ऑनबोर्डिंग प्रोत्साहन लाभ को वित्तवर्ष 2026-27 तक बढ़ा दिया है। पहले यह प्रोत्साहन केवल 31 मार्च 2026 तक पंजीकृत प्लेटफॉर्म सेवा भागीदारों के लिए लागू था, पर अब यह मॉडल वित्त वर्ष 2026-27 हेतु लागू रहेगा जिससे प्रोत्साहन 31 मार्च 2027 तक किए नामांकनों पर भी देय होगा। इस विस्तार का उद्देश्य डिजिटल तंत्र अपना कर और निर्बाध ऑनबोर्डिंग के जरिए व्यापक वृद्धावस्था आय सुरक्षा का विस्तार करना है।

बैंकिंग नीतियाँ

पीएसएल ढांचे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संशोधन

नई विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) [एफसीएनआर (बी) जमाराशियों] तथा अनिवासी विदेशी (एनआरई) जमाराशियों के समक्ष कतिपय अग्रिमों हेतु मानदंडों में ढील देकर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कर्ज देने के ढांचे को संशोधित कर दिया है। 8 जून से 30 सितंबर 2026 के बीच एकत्र 3-5 वर्ष की अवधि वाली नई एफसीएनआर (बी) जमाराशियों तथा 19 जून और 30 सितंबर 2026 के बीच एकत्र 3 या इससे अधिक वर्ष की अवधि वाली एनआरई जमाराशियों के समक्ष अग्रिम, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र लक्ष्यों की गणना हेतु समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) के दायरे से बाहर रहेंगे। इस कटौती की अधिकतम सीमा संगत नकद आरक्षित अनुपात/वैधानिक तरलता अनुपात छूटों हेतु पात्र नई जमाराशियों की राशि तक सीमित रहेगी।

बैंकिंग जगत की घटनाएँ

बैंकर बही साक्ष्य अधिनियम, 1891 के नवीकरण हेतु बिल पारित

बैंकर बही साक्ष्य अधिनिय, 1891 को वापस लेने तथा प्रतिस्थापित करने वाले बैंकर बही साक्ष्य बिल, 2026 को लोकसभा और राज्य सभा ने पारित कर दिया है। बिल का उद्देश्य कानूनी ढांचे को वर्तमान समय के अनुरुप आधुनिकीकृत करना है लेकिन इसमें अधिनियम के महत्वपूर्ण प्रावधानों को बरकरार रखा गया है। बिल में कहा गया है कि एक बैंक के अधिकारी को कोई बैंकर बही ऐसी कानूनी कार्यवाही में प्रस्तुत करने को बाध्य नहीं किया जा सकता जिसमें बैंक पक्षकार न हो। किसी अधिकारी को मामला, संव्यवहार या दर्ज खाते को सिद्ध करने हेतु गवाही देने को भी बाध्य नहीं किया जा सकता, सिवाय वहाँ के जब न्यायालय अथवा न्यायाधीश विशेष कारण से ऐसा आदेश पारित करता है। बिल में इन प्रावधानों को अक्षुण्ण रखा गया है। किन्तु बैंकर बही के इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल अभिलेख को, कतिपय शर्तों के अधीन, मान्य तथा कानूनी तौर पर बाध्यकारी साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य रखने का भी प्रावधान है। आगे, केंद्र सरकार को अधिकार दिया गया है कि बिल के प्रावधानों को वित्तीय क्षेत्र में कार्यरत किसी संस्था या संस्था वर्ग पर लागू करे।

पूंजी बाजार

एमआईआई हेतु सेबी द्वारा आईटी रेजिलिएंस सूचकांक जारी

सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजों तथा डिपॉजिटरियों सहित बाजार अवसंरचना संस्थाओं (एमआईआई) के लिए सूचना प्रौद्योगिकी रेजिलिएंस सूचकांक (आईटीआरआई) जारी किया है। इस कदम से उनकी आईटी प्रणालियों की आघात सह्यता और निगरानी मजबूत होगी। आईटीआरआई की गणना उपलब्धता; सुरक्षा; ईमानदारी; अभिशासन; विश्वसनीयता तथा निगरानी; व्यवसाय निरंतरता; माडुलरिटी और लचीलेपन; स्केलेबिलिटी और अन्य जैसी घटनाओं को संभालने आदि के कई वेटेज-आधारित प्राचलों पर की जाएगी। एमआईआई, प्रत्येक अर्द्ध वर्ष की समाप्ति से 60 दिनों के भीतर, अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रणाली-चालित आईटीआरआई की गणना करेगी। दो लगातार अर्द्ध वर्षों (रोलिंग आधार पर) के तुलनात्मक विश्लेषण और की गई (या की जाने वाली) सुधारात्मक कार्यवाही को प्रौद्योगिकी पर उनकी प्रवर समिति तथा शासी बोर्ड को प्रस्तुत किया जाएगा।

सुरक्षा तंत्र को बचाने हेतु सेबी ने साइबर रिपोर्टिंग को FIRE फॉर्मेट के साथ जोड़ दिया है

सेबी ने अपने साइबर घटना रिपोर्टिंग पोर्टल को वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा तैयार FIRE ढांचे के साथ जोड़ दिया है। FIRE का विस्तार 'फॉर्मेट फॉर इंसिडेंट रिपोर्ट एक्सचेंज' है और इसमें साइबर घटनाओं की रिपोर्टिंग हेतु एक समान फील्ड और परिभाषाएँ हैं। इसमें तमाम विनियमित संस्थाओं जैसे स्टॉक ब्रोकरों, स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरीज, म्युचुअल फंड, वैकल्पिक निवेश निधियों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों, पोर्टफोलियो प्रबन्धकों, निवेश सलाहकारों, रजिस्ट्रार व ट्रांसफर एजेंट और अभिरक्षकों को शामिल किया गया है। FIRE कॉमन जानकारी फील्ड्स, मानकीकृत परिभाषाओं तथा घटना कारणों के निरंतर वर्गीकरण द्वारा घटनाओं की संरचित रिपोर्टिंग संभव बनाता है। भिन्न क्षेत्रों और अधिकार क्षेत्रों में यह समरूपता को बढ़ावा देता है।

नगरपालिक कर्ज प्रतिभूतियों को सेबी ने नया रूप दिया है

सेबी ने नगरपालिक कर्ज प्रतिभूतियों में कतिपय संशोधन किए हैं। तदनुसार, प्रत्येक नगरपालिक कर्ज प्रतिभूति का अंकित मूल्य या तो 1 लाख रुपए या 10,000 रुपए होगा, जैसा उचित समझा जाए। 10,000 रुपए के अंकित मूल्य पर जारी प्रतिभूति की परिपक्वता अवधि नियत होगी और यह किसी संरचनागत दायित्व के बगैर होगी। निजी प्लेसमेंट आधार पर जारी, स्टॉक एक्सचेंज पर व्यापारित सूचीबद्ध नगरपालिक कर्ज प्रतिभूति का ट्रेडिंग लॉट हमेशा ऐसी प्रतिभूति के अंकित मूल्य के बराबर होगा। अंकित मूल्य संबंधित अपेक्षाएँ केवल निजी प्लेसमेंट वाली नगरपालिक कर्ज प्रतिभूतियों के लिए लागू हैं, सार्वजनिक निर्गमों के लिए नहीं। यदि सूचीबद्ध प्रविष्टि भारत सरकार की पूल्ड वित्त विकास निधि योजना अंतर्गत स्थापित पूल्ड फाइनेंस वेहिकल/स्पेशल परपज वेहिकल है, तो संबंधित नगरपालिकाएँ उक्त सभी खाते बनाएँगी तथा इस हेतु लागू विशेष आवश्यकताओं को पूरा करेंगी।

एनडीसीएफ के परिकलन संबंधी InvIT नियमों में सेबी द्वारा राहत

सेबी ने अवसंरचना निवेश न्यासों के निवल वितरणीय नकदी प्रवाह की गणना के ढांचे को संशोधित कर दिया है। यह ढांचा संबंधित परिचालन, वित्तीय तथा अन्य नकदी प्रवाह समायोजनों को हिसाब में लेने के बाद यूनिटधारकों में वितरण

हेतु विचारणीय नकदी प्रवाह को निर्दिष्ट करता है। InvIT/धारक कंपनी/स्पेशल परपज वेहिकल स्तर पर उपलब्ध नकदी आधिक्य को निर्धारित एनडीसीएफ ढांचे के अनुसार हिसाब में लिया जाता है। इस ढांचे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि निवेशकों में वितरित राशि InvIT संरचना से एकत्र वास्तव में वितरण योग्य नकद राशि के आधार पर हो।

आईएफएससीए उत्पाद बेचने हेतु ओबीपीपी को अनुमति

ऑनलाइन बांड प्लेटफॉर्म प्रोवाइडर्स (ओबीपीपी) को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (आईएफएससीए) द्वारा जारी उत्पादों और सेवाओं तथा विनिर्दिष्ट कर प्रावधानों के तहत जारी बांड बेचने की अनुमति मिल गई है। आईएफएससीए -विनियमित उत्पाद गिफ्ट-आईएफएससी के भीतर कार्यरत सेबी-पंजीकृत स्टॉक ब्रोकरों हेतु निर्दिष्ट तरीके से बेचे जाएंगे। उन्हें विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) अंतर्गत लागू अपेक्षाओं का भी पालन करना होगा जिसमें ओवरसीज निवेश नियम तथा उदारीकृत विप्रेषण योजना अंतर्गत सीमा शामिल हैं। व्यवसाय करने में सुगमता को बढ़ावा देने हेतु एक उपाय के रूप में सेबी ने ओबीपीपी हेतु अनुपालन अधिकारी की आवश्यकता में भी संशोधन किया है।

आईएफएससीए-विनियमित संस्थाओं को केवाईसी हेतु केआरए अभिलेख उपलब्ध होगा

वित्तीय सेवाओं हेतु ग्राहक जानकारी साझा करने में सुगमता हेतु सेबी ने, आईएफएससीए-विनियमित संस्थाओं को उनसे वित्तीय सेवाएँ लेने वाले ग्राहकों की केवाईसी करने हेतु केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों (केआरए) के अभिलेख का उपयोग करने की अनुमति दे दी है। केआरए प्रणाली का उपयोग करने वाली सभी संस्थाओं को केआरए विनियमों तथा प्रतिभूति बाजार हेतु केवाईसी मानदंडों पर सेबी के मास्टर परिपत्र व इसके संशोधनों का पालन करना होगा। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीए) के रूप में पंजीकृत ग्राहकों हेतु, संस्थाओं को विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, निर्दिष्ट डिपॉजिटरी भागीदार तथा पात्र विदेशी निवेशकों के लिए लागू सेबी के डेटा सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

म्यूचुअल फंड हेतु सेबी ने समेकित आवेदन ढांचा लागू किया है

म्यूचुअल फंड हेतु पंजीकरण प्रक्रिया को सेबी ने नया रूप दिया है। प्राथमिक तथा अंतिम अनुमोदन में सुगमता हेतु इसने समेकित आवेदन ढांचा शुरू किया है। भावी प्रायोजकों को वित्तीय सुदृढ़ता, स्वामित्व, अभिशासन व विनियामक ट्रैक रिकॉर्ड पर विस्तृत खुलासा करना होगा। इस समय ऐसे आवेदन दो चरणों नामत: प्रायोजक/आवेदक को सिद्धान्त स्वरूप अनुमोदन तथा म्यूचुअल फंड के अंतिम पंजीकरण में किए जाते हैं।

सेबी ने एफपीआई के डिजिटल तरीके से ऑनबोर्डिंग की अनुमति दे दी है

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) आवेदकों की ऑनबोर्डिंग में लगने वाले कुल समय में कमी लाने हेतु तथा उनके द्वारा व्यवसाय करने में सुगमता हेतु, सेबी ने एफपीआई की डिजिटल ऑनबोर्डिंग की अनुमति दे दी है। यह ऑनबोर्डिंग सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के मानदंडों के अनुरूप डिजिटल हस्ताक्षरित मुख्तारनामा स्वीकार कर की जाएगी। इससे मुख्तारनामे के नोटरीकरण, सत्यापन या कांसुलराइजेशन की आवश्यकता नहीं रह जाती।

विनियामक के कथन

वित्तीय समावेशन हेतु कृत्रिम मेधा एक शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकती है: गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

एफएबीआईसी 2025 सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि कृत्रिम मेधा ऋण प्रदायगी के अर्थशास्त्र में बुनियादी बदलाव ला रही है। कारगर ढंग से उपयोग करने पर कृत्रिम मेधा वित्तीय समावेशन की एक सबसे शक्तिशाली उत्प्रेरक हो सकती है। लागत-आय अनुपात तथा मध्यस्थ लागत को घटाने में मदद कर यह परिचालन दक्षता बढ़ा सकती है। परिचालन, विक्रय, ऋण और वसूली में यह भारतीय बैंकों की उत्पादकता में काफी वृद्धि कर सकती है। एआई सहायता युक्त शिकायत समाधान और पर्सनलाइज्ड वित्तीय मार्गदर्शन ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में काफी सुधार कर सकता है। तथापि, उन्होंने कृत्रिम मेधा से जुड़े जोखिमों के प्रति भी आगाह किया। पहला जोखिम 'ब्लैक बॉक्स' समस्या है। कई उन्नत एआई मॉडल (विशेषकर डीप लर्निंग तथा जेनरेटिव एआई प्रणालियाँ) अपने निर्णयों के पीछे के तर्क की तुरंत व्याख्या नहीं कर सकतीं। यदि ठीक से निगरानी न रखी जाए तो कर्ज देने के पुराने आंकड़ों पर प्रशिक्षित माडल मौजूदा पूर्वाग्रहों को कतिपय देशों, पेशों या समुदायों पर लागू कर सकता है। अन्य जोखिमों में संकेन्द्रण और भेड़चाल; अन्य पक्ष विक्रेताओं पर निर्भरता, डेटा गोपनीयता व सुरक्षा, साइबर व प्रतिकूल कमजोरी; तथा मानव विवेक

व जवाबदेही का अभाव शामिल हैं। अत:, उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि एक एआई मॉडल कितना भी परिष्कृत क्यों न हो, एक बैंक के निर्णयों की ज़िम्मेदारी अंतत: बैंक न कि इसके अलगोरिद्म पर होगी। एक टिकाऊ बैंकिंग प्रणाली हेतु नवोन्मेष और सुरक्षा पूरक आवश्यकताएँ हैं। अत:, बैंक बोर्डों, जोखिम अधिकारियों, प्रौद्योगिकीविदों तथा विनियामक की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण है।

मौद्रिक संप्रभुता के संरक्षण हेतु नकदी प्रबंधन और करेंसी अवसंरचना निहायत जरूरी हैं: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

बैंक ऑफ इंडोनेशिया द्वारा आयोजित; 'फोकस ग्रुप डिस्कशन: ग्लोबल कैश मैनेजमेंट' में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री शिरीष चंद्र मुर्मू ने बताया कि मौद्रिक संप्रभुता के संरक्षण हेतु नकदी प्रबंधन और करेंसी अवसंरचना किस प्रकार जरूरी हैं, भले ही भारत में डिजिटल भुगतान ज़ोर पकड़ रहे हों। चलन में मुद्रा दो डिजिट की दर से बढ़ती जा रही है चाहे प्रत्येक लेनदेन में नकदी का हिस्सा कम हो रहा हो। इस विशेष स्थिति में भावी मांग का पूर्वानुमान लगाना कठिन है। भारत को एक सुदृढ़, सुरक्षित और टिकाऊ नकदी तंत्र की जरूरत है जो डिजिटल भुगतानों की पूरक हो तथा करेंसी में जन विश्वास बनाए रखे।

मजबूत बैंकिंग प्रणाली तथा कतिपय सिद्धांतों का पालन करना हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

सीएनबीसी-टीवी18 बैंकिंग ट्रांसफार्मेशन समिट में अपने वक्तव्य में भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री शिरीष चंद्र मुर्मू ने कहा कि पूंजी से जोखिम भारित आस्ति अनुपात 17.7% होने के साथ भारत की बैंकिंग प्रणाली के पास पर्याप्त पूंजी है। 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक के करोपरांत लाभ के साथ यह लाभ भी कमा रही है। अनर्जक आस्तियां घट कर 1.8% रह गईं हैं, इसलिए यह स्वस्थ भी है। स्ट्रेस परीक्षण पुष्टि करते हैं कि प्रणाली प्रतिकूल झटकों को बिलकुल बर्दाश्त कर सकती है। उन्होंने आगे इस पर सलाह दी कि पूर्ण सफलता हासिल करने हेतु कतिपय सिद्धांतों और प्राचलों का किस प्रकार उपयोग किया जाए। सामर्थ्य बढ़ाने हेतु समावेशन करें। वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने के साथ वाजिब वित्तीय सामर्थ्य भी निर्मित करें। कार्यों हेतु कौशलों का पूर्वानुमान कर इन्हें पहले तैयार रखें, बाद में नहीं। सुरक्षा बढ़ाएँ तथा आघात सह्यता हेतु इंटेलीजेंस लगाएँ। साइबर तथा अन्य जोखिमों को भाँपने और रोकने के साथ ग्राहकों की सुरक्षा करें और बाजार में अपनी ईमानदारी बनाए रखें। प्रयुक्त करने से पूर्व इन प्रणालियों का प्रतिकूल परीक्षण करें और इसके बाद नियमित अंतराल पर परीक्षण करते रहें। असंभावित के पूर्वानुमान हेतु इंटेलिजेंस का तत्परता से उपयोग करें तथा व्यवधान आने पर महत्वपूर्ण कार्यों को संरक्षित रखें।

लघु शहरी सहकारी बैंकों के समक्ष ज्यादा साइबर जोखिम: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी सहकारी बैंकों के निदेशकों, प्रबंध निदेशकों तथा मुख्य कार्यपालक अधिकारियों हेतु मिशन सक्षम (सहकारी बैंक क्षमता निर्माण) कार्यक्रम में बोलते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर स्वामीनाथन जे ने कहा कि भले ही शहरी सहकारी बैंक छोटे आकार के हैं; प्रौद्योगिकी, साइबर खतरे तथा बाहरी सेवा प्रदाताओं पर उनकी निर्भरता उनकी भौतिक या भौगोलिक उपस्थिति की तुलना में उन्हें काफी बड़े जोखिमों से रूबरू करा रही है। इन जोखिमों का सामना करने हेतु, प्रत्येक शहरी सहकारी बैंक को अपने आप में क्षमता निर्माण हेतु आत्म-निर्भर होना चाहिए। बोर्ड तथा वरिष्ठ प्रबंधन को बैंक द्वारा लिए जा रहे जोखिम को अनिवार्यत: समझना चाहिए, विवेक का उपयोग करना चाहिए तथा जोखिम रोकने हेतु उचित कदम उठाने चाहिए।

चार लक्ष्यों को पूरा कर भारत का विदेशी मुद्रा बाजार अगले दशक हेतु तैयार हो सकेगा: उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक

फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स असोसियेशन ऑफ इंडिया (फेडाई) के वार्षिकोत्सव में मुख्य वक्तव्य देते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक के उप गवर्नर श्री रोहित जैन ने कहा कि भारत का विदेशी मुद्रा बाजार अगले दशक के लिए तभी तैयार हो सकेगा जब इसमें वैश्विक झटकों को बर्दाश्त करने हेतु पर्याप्त गहराई हो, व्यापार व निवेश के नए तरीके से तालमेल हेतु पूरा लचीलापन हो, सुव्यवस्था बनाए रखने हेतु पर्याप्त अनुशासन हो तथा सबसे छोटे ग्राहक को भी सबसे बड़े कॉर्पोरेट ग्राहक जितनी विनम्रता के साथ सेवा देने की निष्पक्षता हो। उनका कहना था कि हमने प्रथम तीन लक्ष्यों में उल्लेखनीय प्रगति की है लेकिन चौथे लक्ष्य हेतु हमें थोड़ा रास्ता तय करना है।

आर्थिक संवेष्टन

आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अगस्त 2026 माह हेतु जारी मासिक समीक्षा की मुख्य बातें इस प्रकार हैं:

- औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) ने विनिर्माण में 7.8% वृद्धि तथा विद्युत व गैस आपूर्ति में 10.6% की वृद्धि से मई के 5.0% से बढ़कर जून 2026 में वर्षानुवर्ष 7.3% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज की।
- कोर उद्योग सूचकांक जून के 6.0% से घट कर जुलाई 2026 में वर्षानुवर्ष 5.4% बढ़ा।
- एचएसबीसी इंडिया मैन्युफैक्चरिंग पर्चेजिंग मैनेजर्स सूचकांक जून 2026 के 54.2 से घट कर जुलाई 2026 में 53.5 था। तो भी यह तटस्थ 50 अंक से ऊपर रहा जो जारी विस्तार का संकेत देता है।
- खुदरा मुद्रास्फीति जुलाई 2026 में, जून 2026 के 4.38% से 7 आधार अंकों की अल्प वृद्धि के साथ 4.45% रही।
- अप्रैल-जून 2026 में भारत के निर्यात प्रदर्शन ने अपनी बढ़त बनाए रखी जिसमें कुल निर्यात 279.6 बिलियन अमरीकी डॉलर से वर्षानुवर्ष 13.2% बढ़कर 316.4 बिलियन डॉलर तक पहुँच गए। तथापि, कुल आयातों में वर्षानुवर्ष 17.3% की तीव्रतर वृद्धि हुई और यह पूर्व के 311.9 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 365.9 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया। परिणामत:, कुल व्यापार घाटा जो अप्रैल-जुलाई 2025 में 32.3 बिलियन अमरीकी डॉलर था, अप्रैल-जुलाई 2026 में 49.4 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अप्रैल-जून 2025 के 4.8 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर अप्रैल-जून 2026 में 7.8 बिलियन अमरीकी डॉलर हो गया।
- निवल विदेशी पोर्टफोलियो अंतर्वाह जुलाई में बढ़कर 4.2 बिलियन अमरीकी डॉलर रहा और अगस्त के प्रथम तीन सप्ताहों में 2.0 बिलियन अमरीकी डॉलर बना रहा।
- भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) लेनदेन जुलाई 2026 में 29.9 लाख करोड़ रुपए के रिकार्ड उच्चतम स्तर पर पहुँच गए।
- 2022 से जारी सावरेन ग्रीन बांड की संचित राशि 87,697.40 करोड़ रुपए रही है जिसमें वित्त वर्ष 27 (अगस्त 2026) में जारी 15,000 करोड़ रुपए के सावरेन ग्रीन बांड शामिल हैं।

नई नियुक्तियाँ

नाम	पदनाम
श्री प्रशांत महापात्रा	कार्यपालक निदेशक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

विदेशी मुद्रा

विदेशी मुद्रा भंडार

	यथा 28 अगस्त 2026	
	करोड़ (₹)	मिलियन अमरीकी डॉलर
	1	2
1 कुल भंडार	7066658	740803
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	5729832	600670
1.2 स्वर्ण	1110438	116409
1.3 एसडीआर	179428	18810
1.4 आईएमएफ में रिज़र्व पोजीशन	46960	4914

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

विगत 6 माह में विदेशी मुद्रा भंडार में प्रवृति (मिलियन अमरीकी डॉलर)

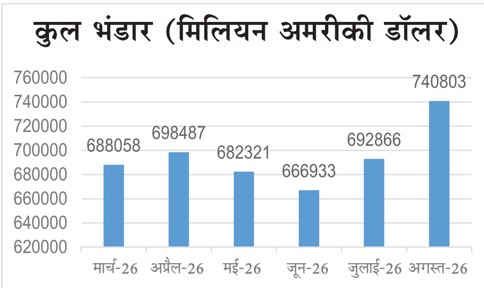

नोट: आंकड़े संबंधित माह के अंतिम शुक्रवार के हैं।

यथा 31 अगस्त 2026 एफसीएनआर (बी) जमाराशियों हेतु वैकल्पिक संदर्भ दरों (एआरआर) की आधार दरें, सितंबर 2026 माह हेतु लागू

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
SOFR (अमरीकी डॉलर)	3.64
SONIA (जीबीपी)	3.7309
STR (यूरो)	2.188
TONA (जापानी येन)	0.977
CORRA (कनाडाई डॉलर)	2.2500
AONIA (आस्ट्रेलियाई डॉलर)	4.35
SARON (स्विस फ्रैंक)	-0.048911

एआरआर	एआरआर की आधार दरें (%)
OCR (न्यूजीलैंड डॉलर)	2.5
SWESTR (स्वीडिस क्रोन)	1.644
SORA (सिंगापुर डॉलर)	1.2576
HONIA (हांगकांग डॉलर)	3.09321
MYOR (म्यांमार रुपया)	2.75
DESTR (डैनिश क्रोन)	1.7840

स्रोत: *www.fbil.org.in*

शब्दावली

निवल वितरणीय नकदी प्रवाह (Net Distributable Cash Flow)

निवल वितरणीय नकदी प्रवाह एक कंपनी या न्यास के द्वारा परिचालन लागतों, करों के भुगतान तथा आरक्षित निधि हेतु धन अलग करने के बाद, अपने निवेशकों को भुगतान करने हेतु उपलब्ध कुल आधिक्य की नकद राशि है।

वित्तीय ज्ञान

मर्चेन्ट छूट दर (Merchant Discount Rate)

मर्चेन्ट छूट दर (एमडीआर) मर्चेन्ट द्वारा एक ग्राहक से कार्ड या डिजिटल भुगतान स्वीकार करने हेतु मर्चेन्ट पर लागू शुल्क या व्यय होता है।

संस्थान की प्रशिक्षण गतिविधियां

आगामी प्रशिक्षण कार्यक्रम

कार्यक्रम	तिथि	स्थान	प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण हेतु लिंक
अनुशासन प्रबंधन, अन्वेषण और अनुशासनिक कार्रवाई/कार्यवाही पर कार्यक्रम	09-11 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/555/attachment/view-public
डिजिटल बैंकिंग सी एक्स – विपणन और ग्राहक जुड़ाव हेतु जयी रणनीतियों पर कार्यक्रम	10-11 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/685/attachment/view-public

फिनटेक भागीदारी, डिजिटल कर्ज व सह-उधार के परिचय सहित रिटेल, कृषि और एमएसएमई की मास्टरी पर कार्यक्रम	15-16 सितंबर, 2026	बैंक ऑफ इंडिया अपेक्स -उत्कृष्टता केंद्र, भोपाल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/754/attachment/view-public
एमएसएमई के सशक्तिकरण हेतु सरकारी ऋण गारंटी योजनाओं पर कार्यक्रम	17 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/735/attachment/view-public
बीएफएसआई क्षेत्र में आईटी और साइबर जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	17-18 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/602/attachment/view-public
आरबीआई अनिवार्य अधिगम-एडीसी प्रो: परिचालन, समाधान और सीटीएस मास्टरी पर कार्यक्रम	17-19 सितंबर, 2026	पीडीसी चेन्नई	https://www.iibf.org.in/iibf-news/630/attachment/view-public
डीआरटी, सरफेसी और आईबीसी 2016 के जरिए अनर्जक आस्ति प्रबंधन-रिवाइव, रिजाल्व, रिकवर पर कार्यक्रम	21-22 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/734/attachment/view-public
जलवायु जोखिम और डीआरडीपी अधिनियम के परिचय सहित परिचालन जोखिम प्रबंधन पर कार्यक्रम	21-24 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/757/attachment/view-public
बैंकों और वित्तीय संस्थानों के आंतरिक लेखापरीक्षकों हेतु कार्यक्रम	23-24 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/557/attachment/view-public
अगली पीढ़ी हेतु अनुपालन- डिजिटल युग हेतु केवाईसी, एएमएल व सीएफटी आवश्यकताओं पर कार्यक्रम	26 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/679/attachment/view-public
विदेशी मुद्रा परिचालन प्रबंधन पर कार्यक्रम	28-30 सितंबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/607/attachment/view-public

ऋण व परिचालन जोखिम न्यूनीकरण पर कार्यक्रम	7-8 अक्तूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/651/attachment/view-public
ऋण निगरानी और वसूली पर कार्यक्रम	7-8 अक्तूबर, 2026	वर्चुअल	https://www.iibf.org.in/iibf-news/703/attachment/view-public

संस्थान समाचार

आईआईबीएफ द्वारा सेल्फ पेसड् नए ई-लर्निंग पाठ्यक्रम

आईआईबीएफ ने चार नए सेल्फ पेसड् ई-लर्निंग पाठ्यक्रम शुरू किए हैं:

- हरित और आघात सह्य भवन हेतु वित्तपोषण
- बैंकिंग में सॉफ्ट स्किल्स और कार्यस्थल शिष्टाचार
- बैंकरों हेतु कृत्रिम मेधा और मशीन लर्निंग
- बैंकरों हेतु परियोजना वित्तपोषण (उन्नत)

अधिक जानकारी https://www.iibf.org.in पर उपलब्ध है।

99वीं वार्षिक आम बैठक

आईआईबीएफ की 99वीं वार्षिक आम बैठक 18 सितंबर 2026 को दोतरफा वीडियो कान्फ्रेंसिंग/अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम से आयोजित की जाएगी।

एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रमों हेतु पंजीकरण खुला है

एनसीवीईटी अनुमोदित पाठ्यक्रम 'फंडामेंटल्स ऑफ रिटेल बैंकिंग' के जुलाई 2026-दिसंबर 2026 बैच हेतु पंजीकरण चालू है। अंतिम तिथि बढ़ा कर 30 सितंबर 2026 कर दी गई है। विवरण तथा आवेदन करने के लिए https://www.iibf.org.in/NCVET पर जाएँ।

उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम (एएमपी) के 14वें बैच का दीक्षांत समारोह

आईआईबीएफ द्वारा आईआईएम कलकत्ता के साथ मिल कर संचालित उन्नत प्रबंधन कार्यक्रम की सफल पूर्णता पर एएमपी के 14वें बैच का दीक्षांत समारोह 23 अगस्त 2026 को आईआईबीएफ कॉर्पोरेट कार्यालय, मुंबई में आयोजित किया गया। आईआईबीएफ के मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री दीपक कुमार लल्ला ने स्वागत भाषण दिया। समारोह में एसबीआईकैप सिक्युरिटीज के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्री बलदेव प्रकाश मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे।

आईआईबीएफ द्वारा विद्यार्थी संगोष्ठी मदुरै संस्करण का आयोजन

13 अगस्त 2026 को आईआईबीएफ ने मदुरै तथा आसपास के जिलों के 8 अग्रणी संस्थानों के 250 से अधिक विद्यार्थियों के साथ विद्यार्थी संगोष्ठी: मदुरै संस्करण आयोजित किया जिसकी उदारतापूर्वक मेजबानी आर एल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ ने की। संगोष्ठी में बैंकिंग में करियर अवसरों, पेशेवर प्रमाणन तथा शैक्षणिक भागीदारी के बढ़ते और मजबूत नेटवर्क पर जीवंत चर्चा हुई।

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक हेतु विषय

बैंक क्वेस्ट के आगामी अंक का विषय 'बैंकिंग क्षेत्र में क्षमता निर्माण के जरिए ग्राहक सेवा को बेहतर बनाना' है। उप-विषय हैं - ग्राहक सेवा उत्कृष्टता लाने में कर्मचारियों की भूमिका; ग्राहक सेवा; ग्राहक जुड़ाव; डिजिटल युग में ग्राहक अधिग्रहण; ग्राहक सुरक्षा; शिकायत प्रबंधन; व्यथा समाधान; कर्मचारी जुड़ाव; प्रशिक्षण, कर्मचारियों में कौशल विकास तथा प्रौद्योगिकी अंगीकरण, आचार नीति तथा अनुपालन।

परीक्षाओं हेतु महत्त्वपूर्ण घटनाओं के संबंध में कट-ऑफ तिथि

संस्थान की एक प्रथा है कि प्रत्येक परीक्षा में हाल की घटनाओं/विनियामक (कों) द्वारा जारी निशानिर्देशों के विषय में प्रश्न पूछे जाएँ ताकि यह जांचा जा सके कि क्या अभ्यर्थी वर्तमान घटनाओं की जानकारी से खुद को अवगत रखते हैं। तथापि, प्रश्नपत्र तैयार करने की तिथि से परीक्षाओं की वास्तविक तिथि तक घटनाओं/दिशानिर्देशों में बदलाव हो सकता है। इन मुद्दों के कारगर समाधान के लिए यह निर्णय लिया गया है कि (i) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के मार्च से अगस्त की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 31 दिसंबर तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा (ii) संस्थान द्वारा एक कलेंडर वर्ष के सितंबर से फरवरी की अवधि में आयोजित परीक्षाओं में, विनियामक (कों) द्वारा केवल 30 जून तक जारी अनुदेशों/दिशानिर्देशों तथा बैंकिंग और वित्त जगत की केवल इस तिथि तक की महत्वपूर्ण घटनाओं को प्रश्नपत्रों में शामिल करने के उद्देश्य हेतु लिया जाएगा।

पर्यावरण अनुकूल कदम

सदस्यों से अनुरोध है कि वे संस्थान में अपना ई-मेल पता अद्यतन करा लें तथा वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल से पाने हेतु अपनी सहमति प्रेषित करें।

बाजार की खबरें

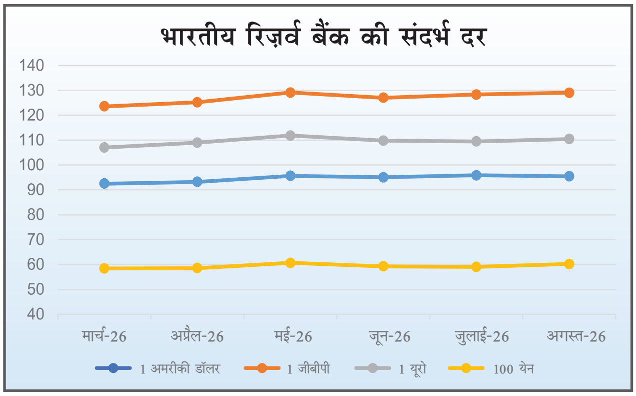

स्रोत: एफबीआईएल

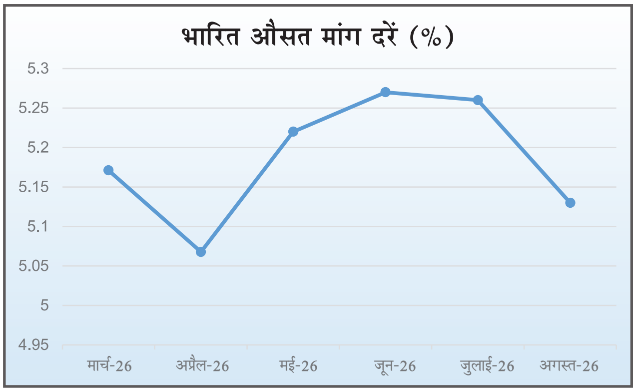

स्रोत: भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड का साप्ताहिक न्यूजलेटर

खाद्येतर ऋण वृद्धि (%)

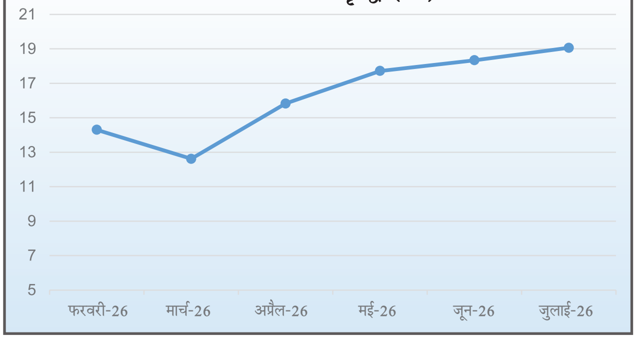

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई 2026

कच्चे तेल की कीमत ($/बीबीएल)

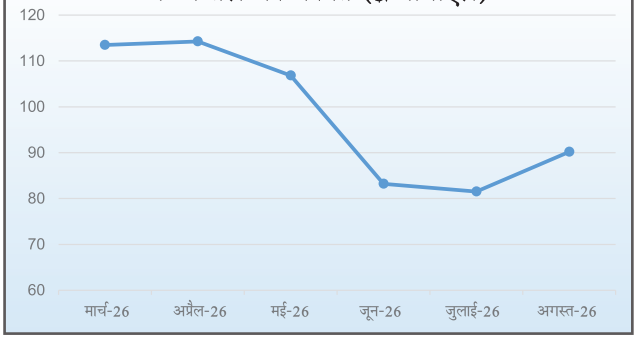

स्रोत: पीपीएसी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

समग्र जमा वृद्धि (%)

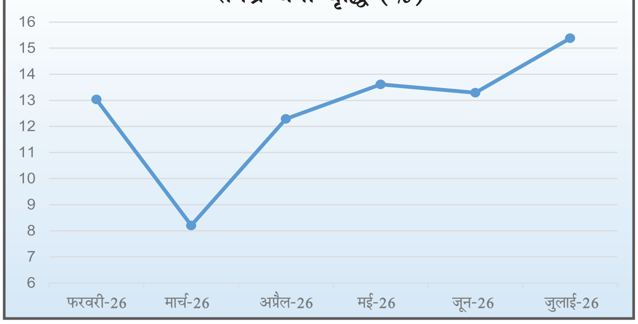

स्रोत: अर्थव्यवस्था की मासिक समीक्षा, भारतीय समाशोधन निगम लिमिटेड, जुलाई 2026

बंबई शेयर बाजार सूचकांक और निफ्टी 50

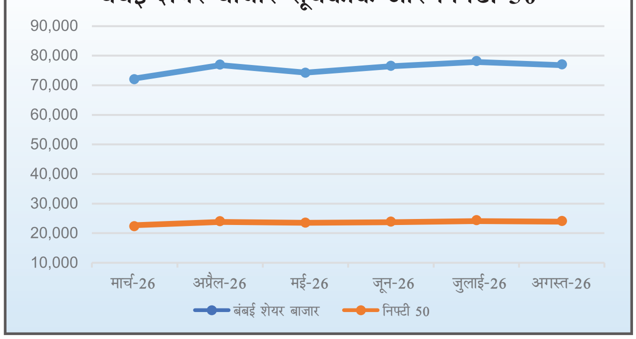

स्रोत: बंबई शेयर बाजार और राष्ट्रीय शेयर बाजार

बैंक ऋण वृद्धि (%)

स्रोत: भारतीय रिज़र्व बैंक

सोने की कीमत 999 प्रति ग्राम (रु०)

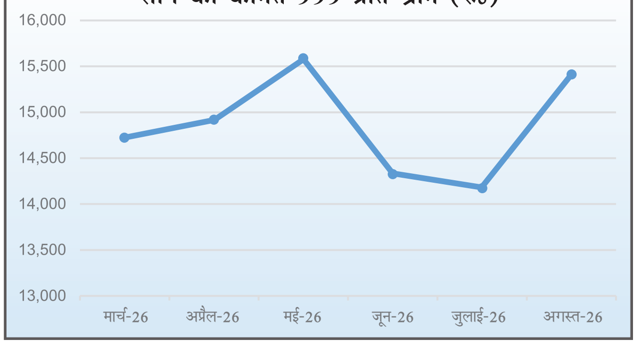

स्रोत: गोल्ड प्राइस इंडिया

• Registered with Registrar of Newspapers Under RNI No. : 69228/1998

Printed by Deepak Kumar Lalla, **Published by** Deepak Kumar Lalla, on behalf of Indian Institute of Banking & Finance, and **printed at** Printrade Issues (I) Pvt. Ltd., 17, Pragati Ind. Estate, 316, N. M. Joshi Marg, Mumbai - 400011 and **published** at Indian Institute of Banking & Finance, Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Editor : Deepak Kumar Lalla

INDIAN INSTITUTE OF BANKING & FINANCE
Kohinoor City, Commercial-II, Tower-I, 2nd Floor, Kirol Road, Kurla (W), Mumbai - 400 070.
Tel. : 08069260710
E-mail : admin@iibf.org.in
Website : www.iibf.org.in